10 10 23

प्रार्थना पत्र बाजदायरी वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को दिनांक 06.10.2023 को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने प्रार्थना पत्र बाजदायरी में कथन किया कि पूर्व में राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलांट की तामील जो कि अप्रार्थीगण द्वारा फर्दकारी कर गलत तरीके से चस्वा दिखाकर भिजवायी गई थी उसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के निर्णय दिनांक 04.11.2022 द्वारा राजस्व मण्डल ने निर्देश दिये थे कि समस्त पक्षकारों को सूचना देकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें, जिसकी पालना में पत्रावली राजस्व मण्डल से पुनः14.12.2022 को प्राप्त होकर दिनांक 28.12.2022 नियत हुई। जिसमें अपीलांट के नोटिस जारी होने के आदेश पारित हुए उसके पश्चात दिनांक 13.02.2023 को ऑर्डरशीट में नोटिस नहीं लौटकर आने का अंकन हुआ। दिनांक 27.06.2023 को उभयपक्ष के अधिवक्ता ने अपीलांट के नोटिस अपीलार्थी के द्वारा जारी नहीं कराये जाने बाबत् आपत्ति रखी तथा उसको न्यायालय द्वारा आदेश में रिवर्ज रखा गया जबकि पूर्व में दिनांक 27.06.2023 को दोनो पक्षों की सहमति से अपीलार्थी के द्वारा अन्य अपीलार्थी के रजिस्टर्ड नोटिस पेश किये गये तो पूर्व की कार्यवाही के पश्चात आपत्ति गलत तरीके से पेश की गई क्योंकि मामला जयुपर से स्थानान्तरित अजमेर आया था तथा राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार समस्त पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक रूप से किया जाना न्यायाचित था जबकि मान्नीय न्यायालय ने दिनांक 12.09.2023 को अपीलार्थी अधिवक्ता न्यायालय के रीडर को बोलकर आये थे। मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2023 को सुनवाई के लिए आवाजें लगाने पर प्रार्थी अधिवक्ता का उपस्थित नहीं होने का कारण जानबुझकर या लापरवाही न था बल्कि उपरोक्त कारण से सद्भाविक था। न्यायहित में उपरोक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः नम्बर पर लेकर उसका गुणावगुण पर निस्तारण करने के न्यायोचित आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट दिनांक 12.09.2023 को उपस्थित नहीं थे तथा अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को आवाजें दिलाई जाने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष सभी अपीलांटस (अपीलांट संख्या 1से 11) की ओर से मय वकालतनामा पेश की गई थी। दिनांक 29.10.2018 द्वारा मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर से राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये थे, किन्तु अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने केवल अपीलांट संख्या 03 की ओर से उपस्थिति दी, जो विधि सम्मत नहीं हैं । यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी केवल प्रार्थी 03 फूलचन्द की ओर से ही प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक चाहते तो फूलचन्द की ओर से ही संशोधित अपील प्रस्तुत कर करते थे किन्तु उनको प्रकरण को अनावश्यक डिले करना है इसलिए जानबूझ कर कार्यवाही नहीं कर रहें है। प्रार्थीगण आपस में रिश्तेदार है यदि प्रकरण को निस्तारण ही करवाना चाहते है तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) जा.दी. प्रस्तुत कर शेष प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संयोजित करवाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेस्टोशेन प्रार्थना पत्र विधि सम्मत प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी का यह कहना था कि अभिभाषक की उपस्थिति नहीं होने पर कोस्ट ली जा सकती है। पत्रावली आरएए जयपुर से आरएए अजमेर को स्थानांतरित की गई है। मृतकों की तामिल करवा ली गई थी इसलिए हमने प्रार्थना की थी। आदेश 5 नियम 2 सीपीसी में कोर्ट को तामिल करवाने का अधिकार है हमारा प्रार्थनापत्र अंदर मियाद है। खारिज होने के दूसरे दिन प्रस्तुत कर दिया गया था। जबकि वकील अप्रार्थी का कहना है कि सिर्फ फूलचंद की ओर से वकालतनामा पेश हुआ है। इन्होंने अपीलांट के

10/10/2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नाथू v/s बद्री (2023/279)

नोटिस पेश किए है ना कि रेस्पोडेंट के फूलचंद चाहे तो संशोधित अपील पेश कर सकता है।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। सीपीसी के आदेश 9 नियम 8 का अवलोकन किया गया इसके अनुसार " **जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा की वाद को खारिज किया जाए "। आदेश 9 नियम 9 व्यतिकम के कारण वादी के विरूद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है। (1) जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहां वादी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने के लिए प्रवारित हो जाएगा किंतु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा, और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पडी थी उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निर्बंधनों पर जो वो ठीक समझे खारिजी को अपास्त करने का कार्य करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियम करेगा। (2) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन की सूचना की तामिल विरोधी पक्षकार पर नहीं कर दी गई हो।**

"प्रकरण संख्या नाथू बनाम बद्री व अन्य 14/2019 के न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 12.9.2023 का अवलोकन किया गया उक्त प्रोसिडिंग में निम्न अनुसार अंकन किया हुआ है।" **पत्रावली पेश हुई अभिभाषक अपीलांटस उपस्थित नहीं अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 उपस्थित अभिभाषक अपीलांटस एवं अपीलांट को कई बार रूक रूक कर आवाजें दिलाई गई। किंतु उपस्थित नहीं अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।"**
स्पष्ट है कि अपीलांट एवं अपीलांट अभिभाषक दिनांक 12.9.2023 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे इस वजह से पत्रावली को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 13.9.2023 को अभिभाषक विजेंद्र चौधरी के माध्यम से बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस के द्वारा प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी किए गए। अगली नियत पेशी दिनांक 26.9.2023 को अपीलांट अभिभाषक उपस्थिति हुए तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्रीमती पूनम माथुर की ओर से उपस्थिति दी गई। इनके द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर मांगा गया। दिनांक 6.10.2023 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और बहस सुनी गई।

न्यायालय का यह देखना है कि क्या प्रार्थी के पास कोई उचित कारण अपनी अनुपस्थिति बाबत है कि नहीं और बाजदायरी प्रार्थना पत्र उसके द्वारा कितने समय बाद प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि वह राजस्व मण्डल में अपने प्रकरण की पैरवी में व्यस्त होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर या लापरवाही की वजह से अनुपस्थिति नहीं की गई। साथ ही निवेदन किया कि प्रकरण की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है इस संबंध में फूलचंद द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

स्पष्ट है कि वादपत्र खारिज होने के एक दिन बाद ही दिनांक 13.92023 को प्रार्थी अभिभाषक द्वारा बाजदायरी का प्रार्थनापत्र न्यायालय में पेश कर दिया गया था तथा नियत पेशी दिनांक 12.9.2023 पर न्यायालय में उनकी अनुपस्थिति बाबत उनके द्वारा बताए गए कारण को न्यायालय उचित मानते हुए प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने को उचित मानता है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है व अपील को पुनः नम्बर पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

10.10.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर